रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 817] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2015/पौष 8, 1937
No. 817] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2015/PAUSA 8, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 29 दिसंबर, **2015**

सं. फेमा. 6(आर)/2015-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 1004(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (जी), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.6/2000-आरबी को अधिक्रमित करते हुए, रिज़र्व बैंक करेंसी अथवा करेंसी नोटों के भारत से निर्यात तथा भारत में आयात के संबंध में निम्नलिखित विनियम निर्मित करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :-

इन विनियमों में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(i) 'अधिनियम' का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) से है ;

(ii) इस विनियमावली में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उक्त अधिनियम में दिये गए हैं।

3. भारतीय करेंसी तथा करेंसी नोटों का निर्यात और आयात:-

(1) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, भारत में निवासी कोई व्यक्ति,

(ए) 25000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) प्रति व्यक्ति से अनधिक राशि तक अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शर्तों के तहत यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक भारत सरकार के करेंसी नोटों और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों को भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है;

(बी) एक समय में 2 सिक्कों से अनधिक स्मारक सिक्के भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है अथवा भेज सकता है।

स्पष्टीकरण: किसी विशिष्ट अवसर अथवा घटना के स्मरण के लिए भारत सरकार की टकसाल द्वारा भारतीय करेंसी में अभिव्यक्त और जारी सिक्के 'स्मारक सिक्कों' में शमिल हैं।

(सी) अस्थायी दौरे पर भारत से बाहर गया हुआ व्यक्ति भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के किसी स्थान से लौटते समय प्रति व्यक्ति 25000/- रुपये से अनधिक राशि अथवा समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित शर्तों के तहत विनिर्दिष्ट सीमा तक भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत में ला सकता है।

उप विनियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन किए जाने पर और उसके इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, किसी व्यक्ति को रिज़र्व बैंक विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत भारत सरकार और/ अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोटों को भारत से बाहर अपने साथ ले जाने अथवा भेजने अथवा भारत में लाने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

(2) **इन** विनियमों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक नहीं है, और भारत के दौरे पर है, वह

(ए) 25000/- रुपये (पच्चीस हज़ार रुपये मात्र) प्रति व्यक्ति से अनधिक राशि तक अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शर्तों के तहत यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत से बाहर ले जा सकता है;

(बी) भारत के बाहर से 25000/- रुपये प्रति व्यक्ति से अनधिक राशि अथवा समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित शर्तों के तहत यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत में ला सकता है।

4. भारतीय सिक्कों के निर्यात पर रोक :-

कोई भी व्यक्ति ऐसे भारतीय सिक्के भारत से बाहर नहीं ले जा सकता है अथवा भेज सकता है जो पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में शमिल हैं।

5. विदेशी मुद्रा के निर्यात और आयात पर रोक :-

इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना कोई भी विदेशी करेंसी भारत से निर्यात नहीं करेगा अथवा भारत से बाहर नहीं भेजेगा अथवा भारत में आयात नहीं करेगा या भारत में नहीं लायेगा।

6. भारत में विदेशी मुद्रा का आयात :-

कोई व्यक्ति -

(ए) करेंसी नोटों, बैंक नोटों और यात्री चेकों को छोड़कर, बिना किसी सीमा के किसी भी रूप में विदेशी मुद्रा भारत में भेज सकता है ;

(बी) विदेशी मुद्रा (जारी न किये गये नोटों को छोड़कर) बिना किसी सीमा के भारत से बाहर के किसी भी स्थान से भारत में ला सकता है,

बशर्ते खंड (बी) के अंतर्गत भारत में विदेशी मुद्रा इस शर्त के अधीन लायी जा सकेगी कि ऐसा व्यक्ति भारत में आते ही, इन विनियमों के संलग्नक, करेंसी घोषणा फॉर्म में विदेशी मुद्रा की घोषणा सीमा शुल्क (कस्टम) प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा;

बशर्ते यह भी कि, ऐसी घोषणा करना आवश्यक नहीं होगा यदि किसी एक समय में किसी व्यक्ति द्वारा लाये गये करेंसी नोटों, बैंक नोटों अथवा यात्री चेकों के रूप में विदेशी मुद्रा का समग्र मूल्य 10,000 अमरीकी डॉलर (दस हज़ार अमेरिकी डॉलर) से अनधिक अथवा समतुल्य हो और / अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी एक समय में लायी गयी विदेशी मुद्रा का समग्र मूल्य 5,000 अमरीकी डॉलर (पांच हज़ार अमेरिकी डॉलर) से अनधिक अथवा उसके समतुल्य हो ।

7. विदेशी मुद्रा और करेंसी नोटों का निर्यात :-

(1) प्राधिकृत व्यक्ति सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्त विदेशी मुद्रा भारत से बाहर भेज सकता है।

(2) कोई व्यक्ति निम्नलिखित को भारत से बाहर ले जा सकता है अथवा भेज सकता है:

(ए) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 के अनुसार रखे गये विदेशी मुद्रा खाते पर आहरित चेक;

(बी) उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित अथवा जारी नियमों अथवा विनियमों अथवा निदेशों के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति से आहरण के जरिए प्राप्त विदेशी मुद्रा;

(सी) भारत में लाए गए जलयानों अथवा हवाई जहाजों की तिजोरियों (सेफ़) में रखी करेंसी अथवा जलयान या हवाई जहाज पर लादी गयी करेंसी जिसके लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति ली गई हो;

(3) कोई व्यक्ति भारत से बाहर निम्नवत करेंसी ले जा सकता है –

(ए) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी करेंसी का धारण और प्रतिधारण) विनियमावली, 2015 के अनुसार स्वयं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा ;

(बी) विदेश यात्रा से लौटते समय व्यय न हुई अपने साथ लायी गई विदेशी मुद्रा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी करेंसी का धारण और प्रतिधारण) विनियमावली, 2015 के अनुसार रखी (retain की) गई हो;

4. भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा व्यय न हुई विदेशी मुद्रा भारत से बाहर ले जायी जा सकती है जो उसके द्वारा भारत आगमन पर विनियम 6 के खंड (बी) के परंतुक के अनुसार घोषित की गई विदेशी मुद्रा से अधिक न हो।

8. नेपाल और भूटान को अथवा से करेंसी का निर्यात और आयात

इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति –

(1) भारत से बाहर नेपाल अथवा भूटान को भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट (किसी भी मामले में 100 रुपये मूल्यवर्ग से ऊपर के नोटों को छोडकर) ले जा सकता है अथवा भेज सकता है, बशर्ते यह कि भारत से नेपाल

अथवा भूटान की यात्रा करने वाला व्यक्ति 500 रुपये/000 रुपये मूल्यवर्ग के रिज़र्व बैंक के करेंसी नोट 25000/- रुपये तक की सीमा में अपने साथ ले जा सकता है;

(2) भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट (किसी भी मामले में 100 रुपये मूल्यवर्ग से ऊपर के नोटों को छोडकर) नेपाल अथवा भूटान से भारत में ला सकता है;

(3) नेपाल अथवा भूटान की करेंसी होने के कारण भारत से बाहर नेपाल अथवा भूटान को ऐसे करेंसी नोट ले जा सकता अथवा नेपाल अथवा भूटान से उन्हें भारत में ला सकता है।

[फा. सं. 1/31/ईएम-2015]

बी.पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th December, 2015

No. FEMA 6 (R) /RB-2015

Foreign Exchange Management (Export and import of currency) Regulations, 2015

G.S.R. 1004(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in supersession of Notification No. FEMA 6/2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank makes the following regulations for export from and import into, India of currency or currency notes, namely :-

1. Short title & commencement:-

(i) These regulations may be called as Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2015.

(ii) They shall come into effect on from the date of their publication in the Official Gazette

2. **Definitions:-**

In these regulations, unless the context requires otherwise, -

(i) 'Act' means Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(ii) the words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Export and Import of Indian currency and currency notes :-**

(1) Save as otherwise provided in these regulations, any person resident in India,

(a) may take outside India (other than to Nepal and Bhutan) currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes up to an amount not exceeding Rs.25000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only) per person or such amount and subject to such conditions as notified by Reserve Bank of India from time to time;

(b) may take or send outside India (other than to Nepal and Bhutan) commemorative coins not exceeding two coins each.

Explanation: 'Commemorative Coin' includes coin issued by Government of India Mint to commemorate any specific occasion or event and expressed in Indian currency.

(c) who had gone out of India on a temporary visit, may bring into India at the time of his return from any place outside India (other than from Nepal and Bhutan), currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes up to an amount not exceeding Rs. 25,000/- per person or such amount and subject to such conditions as notified by Reserve Bank of India from time to time.

Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1), Reserve Bank may, on application made to it and on being satisfied that it is necessary to do so, allow a person to take or send out of India or bring into India currency notes of Government of India and/or of Reserve Bank of India subject to such terms and conditions as the Bank may stipulate.

(2) Save as otherwise provided in these regulations, any person resident outside India, not being a citizen of Pakistan or Bangladesh, and visiting India,

(a) may take outside India currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes up to an amount not exceeding Rs. 25000 (Rupees Twenty Five Thousand Only) per person or such other amount and subject to such conditions as notified by Reserve Bank of India from time to time.

(b) may bring into India currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes up to an amount not exceeding Rs. 25000 (Rupees Twenty Five Thousand Only) per person or such other amount and subject to such conditions as notified by Reserve Bank of India from time to time.

4. **Prohibition on Export of Indian coins**:-

No person shall take or send out of India the Indian coins which are covered by the Antique and Art Treasure Act, 1972.

5. Prohibition on export and import of foreign currency:-

Except as otherwise provided in these regulations, no person shall, without the general or special permission of the Reserve Bank, export or send out of India, or import or bring into India, any foreign currency.

6. **Import of foreign exchange into India:-**

A person may -

(a) send into India without limit foreign exchange in any form other than currency notes, bank notes and travellers cheques;

(b) bring into India from any place outside India without limit foreign exchange (other than unissued notes),

provided that bringing of foreign exchange into India under clause (b) shall be subject to the condition that such person makes, on arrival in India, a declaration to the Custom authorities in Currency Declaration Form (CDF) annexed to these Regulations;

provided further that it shall not be necessary to make such declaration where the aggregate value of the foreign exchange in the form of currency notes, bank notes or traveller's cheques brought in by such person at any one time does not exceed US$10,000 (US Dollars ten thousands) or its equivalent and/or the aggregate value of foreign currency notes brought in by such person at any one time does not exceed US$ 5,000 (US Dollars five thousands) or its equivalent.

7**. Export of foreign exchange and currency notes:-**

(1) An authorised person may send out of India foreign currency acquired in normal course of business,

(2) Any person may take or send out of India, -

(a) Cheques drawn on foreign currency account maintained in accordance with Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2000;

(b) foreign exchange obtained by him by drawal from an authorised person in accordance with the provisions of the Act or the rules or regulations or directions made or issued thereunder ;

(c) currency in the safes of vessels or aircrafts which has been brought into India or which has been taken on board a vessel or aircraft with the permission of the Reserve Bank ;

(3) Any person may take out of India, -

(a) foreign exchange possessed by him in accordance with the Foreign Exchange Management (Possession and Retention of Foreign Currency) Regulations, 2015;

(b) unspent foreign exchange brought back by him to India while returning from travel abroad and retained in accordance with the Foreign Exchange Management (Possession and Retention of Foreign Currency) Regulations, 2015;

(4) Any person resident outside India may take out of India unspent foreign exchange not exceeding the amount brought in by him and declared in accordance with the proviso to clause (b) of Regulation 6, on his arrival in India.

8**. Export and import of currency to or from Nepal and Bhutan:-**

Notwithstanding anything contained in these regulations, a person may –

(1) take or send out of India to Nepal or Bhutan, currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes (other than notes of denominations of above Rs.100 in either case); provided that an individual travelling from India to

Nepal or Bhutan can carry Reserve Bank of India currency notes of denomination Rs.500/- and/or Rs.1000/- up to a limit of Rs. 25,000/- ;

(2) bring into India from Nepal or Bhutan, currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes (other than notes of denominations of above Rs.100 in either case) ;

(3) take out of India to Nepal or Bhutan, or bring into India from Nepal or Bhutan, currency notes being the currency of Nepal or Bhutan.

[F. No. 1/31/EM-2015]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

अधिसूचना

मुंबई, 29 दिसम्बर 2015

सं. फेमा. 9 (आर)/2015-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और सुपुर्दगी) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 1005(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 8, धारा 10 की उप-धारा (6), धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 9/2000-आरबी को अधिक्रमित करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा की वसूली के तरीके, और अवधि, वसूल हुई विदेशी मुद्रा के भारत में प्रत्यावर्तन और उसकी सुपुर्दगी के संबंध में निम्नलिखित विनियम निर्मित करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और सुपुर्दगी) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

इस विनियमावली में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(i) 'अधिनियम' का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) से है ;

(ii) 'प्राधिकृत व्यापारी' का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किये गए व्यक्ति से है;

(iii) 'प्राप्य विदेशी मुद्रा' का तात्पर्य उस राशि से है जिसे कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा में प्राप्त करने अथवा दावा करने का अधिकार रखता है;

(iv) 'सुपुर्दगी' का तात्पर्य भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी को विदेशी मुद्रा की बिक्री के बदले रुपया प्राप्त करने से है;

(v) इस विनियमावली में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उक्त अधिनियम में दिये गए हैं।

3. प्राप्य विदेशी मुद्रा की वसूली हेतु व्यक्तियों के दायित्व (duty) :-

भारत में निवासी कोई व्यक्ति जिसे विदेशी मुद्रा में कोई राशि प्राप्य है अथवा उपचित हुई है, उक्त अधिनियम, अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों अथवा रिज़र्व बैंक की सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमति के तहत छूट प्राप्त

होने के सिवाय, ऐसी विदेशी मुद्रा की वसूली और भारत में उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए हर संभव उचित कदम उठाएगा और किसी भी मामले में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा अथवा कार्य करने से विरत नहीं होगा अथवा कार्रवाई करेगा अथवा विरत होगा, जिससे–

(ए) उक्त विदेशी मुद्रा की पूरी अथवा अंशतः प्राप्ति में विलंब हो; अथवा

(बी) उसे प्राप्य विदेशी मुद्रा की पूरी अथवा अंशतः राशि प्राप्त ही न हो।

4. प्रत्यावर्तन का तरीका:-

(1) प्राप्य विदेशी मुद्रा की वसूली पर, संबन्धित व्यक्ति उसे भारत में प्रत्यावर्तित करेगा अर्थात भारत में लाएगा अथवा भारत में प्राप्त करेगा; और –

(ए) भारत में प्राधिकृत व्यक्ति को विदेशी मुद्रा बेचकर विनिमय में रुपए प्राप्त करेगा; और

(बी) रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे खाते में उसे रखेगा अथवा धारण किए रहेगा; अथवा

(सी) विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत कर्ज़ अथवा देयता को चुकाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा और रीति से इस्तेमाल करेगा।

(2) किसी व्यक्ति के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने विदेशी मुद्रा में वसूल हुई राशि भारत में प्रत्यावर्तित कर दी है जब वह किसी बैंक अथवा भारत से बाहर के किसी देश में स्थित एक्स्चेंज हाउस में प्राधिकृत व्यापारी के रखे खाते के जरिए भारत में रुपये में भुगतान प्राप्त कर लेता है।

5. वसूल हुई विदेशी मुद्रा की सुपुर्दगी के लिए अवधि :-

भारत में निवासी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति वसूल हुई विदेशी मुद्रा विनियम 4 के उप विनियम (1) के खंड (ए) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी को निम्नवत विनिर्दिष्ट अवधि में बेचेगा :-

(1) भारत में अथवा भारत से बाहर दी गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में प्राप्य अथवा उपचित अथवा किसी विधि सम्मत भुगतान, अथवा भारत से बाहर की परिसंपत्तियों पर हुई आय, अथवा विरासत के रूप में, निपटान (भुगतान) अथवा उपहार के रूप में प्राप्य विदेशी मुद्रा, उसकी प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर सुपुर्द की जाएगी।

(2) सभी अन्य मामलों में ऐसी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर सुपुर्द की जाएगी ।

6. कतिपय मामलों में सुपुर्दगी के लिए अवधि:-

(1) ऐसा व्यक्ति जो भारत में निवासी व्यष्टि नहीं है एवं जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) के अंतर्गत किसी प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत घोषणा में दिए गए प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित अथवा क्रय की है, वह ऐसे प्रयोजन अथवा उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों अथवा विनियमों अथवा निदेशों अथवा आदेशों के उपबंधों के अंतर्गत अनुमत प्रयोजन, जिनके लिए विदेशी मुद्रा क्रय की जा सकती है, के लिए उपयोग में नहीं लाता है, तो वह ऐसी विदेशी मुद्रा अथवा उसका अप्रयुक्त अंश ऐसे अर्जन अथवा खरीद की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकृत व्यापारी को सुपुर्द कर देगा।

(2) उप विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत में निवासी व्यष्टि नहीं है, प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी यात्रा के प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है अथवा खरीदी जाती है, वहां ऐसी विदेशी मुद्रा के व्यय न हुए अंश को उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित विनियमों में उपबंधित छूट के सिवाय, निम्नवत प्राधिकृत व्यक्ति के सुपुर्द किया जाएगा-

(ए) यदि व्यय न हुई विदेशी मुद्रा करेंसी नोटों और सिक्कों के रूप में हो तो यात्री द्वारा भारत में लौटने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर; और

(बी) विदेशी मुद्रा यात्री चेकों के रूप में होने पर यात्री द्वारा भारत में लौटने की तारीख से से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर।

7. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त/वसूल/व्यय न हुई/अप्रयुक्त विदेशी मुद्रा की सुपुर्दगी के लिए अवधि:-

ऐसा व्यक्ति जो भारत में निवासी व्यष्टि है प्राप्त/ वसूल/ व्यय न हुई/ अप्रयुक्त विदेशी मुद्रा चाहे करेंसी नोटों, सिक्कों और यात्री चेकों के रूप में हो, मामले के अनुसार, ऐसी प्राप्ति/ वसूली/ खरीद/ अर्जन अथवा भारत में लौटने की तारीख से 180 दिनों के भीतर, मामले के अनुसार, प्राधिकृत व्यक्ति के सुपुर्द करेगा।

8. छूट :-

इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात नेपाल अथवा भूटान की करेंसी पर लागू नहीं होगी।

[फा. सं. 1/31/ईएम-2015]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th December, 2015

No. FEMA 9 (R)/2015-RB

Foreign Exchange Management (Realisation, repatriation and surrender of foreign exchange) Regulations, 2015

G.S.R. 1005(E).—1 In exercise of the powers conferred by Section 8, sub-section (6) of Section 10, clause (c) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in supersession of Notification No. FEMA 9/ 2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time the Reserve Bank makes the following regulations relating to the manner of, and the period for, realisation of foreign exchange, repatriation of realised foreign exchange to India and its surrender, namely -

1. **Short title and commencement:-**

(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Realisation, Repatriation and Surrender of Foreign Exchange) Regulations, 2015.

(ii) They shall come into force on from the date of their publication in the Official Gazette

2. **Definitions:-**

In these Regulations, unless the context requires otherwise, -

(i) 'Act' means Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(ii) 'Authorised Dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of Section 10 of the Act;

(iii) 'foreign exchange due' means the amount which a person has a right to receive or claim in foreign exchange;

(iv) 'surrender' means the selling of foreign exchange to an authorised person in India in exchange of rupees;

(v) the words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Duty of persons to realise foreign exchange due :-**

A person resident in India to whom any amount of foreign exchange is due or has accrued shall, save as otherwise provided under the provisions of the Act, or the rules and regulations made thereunder, or with the general or special permission of the Reserve Bank, take all reasonable steps to realise and repatriate to India such foreign exchange, and shall in no case do or refrain from doing anything, or take or refrain from taking any action, which has the effect of securing -

(a) that the receipt by him of the whole or part of that foreign exchange is delayed; or
(b) that the foreign exchange ceases in whole or in part to be receivable by him.

4. Manner of Repatriation:-

(1) On realisation of foreign exchange due, a person shall repatriate the same to India, namely bring into, or receive in, India and –

(a) sell it to an authorised person in India in exchange for rupees; or
(b) retain or hold it in account with an authorised dealer in India to the extent specified by the Reserve Bank; or
(c) use it for discharge of a debt or liability denominated in foreign exchange to the extent and in the manner specified by the Reserve Bank.

(2) A person shall be deemed to have repatriated the realised foreign exchange to India when he receives in India payment in rupees from the account of a bank or an exchange house situated in any country outside India, maintained with an authorised dealer.

5**. Period for surrender of realised foreign exchange:-**

A person not being an individual resident in India shall sell the realised foreign exchange to an authorised person under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 4, within the period specified below:-

(1) foreign exchange due or accrued as remuneration for services rendered, whether in or outside India, or in settlement of any lawful obligation, or an income on assets held outside India, or as inheritance, settlement or gift, within seven days from the date of its receipt;

(2) in all other cases within a period of ninety days from the date of its receipt.

6. **Period for surrender in certain cases :-**

(1) Any person not being an individual resident in India who has acquired or purchased foreign exchange for any purpose mentioned in the declaration made by him to an authorised person under sub-section (5) of Section 10 of the Act does not use it for such purpose or for any other purpose for which purchase or acquisition of foreign exchange is permissible under the provisions of the Act or the rules or regulations or direction or order made thereunder, shall surrender such foreign exchange or the unused portion thereof to an authorised person within a period of sixty days from the date of its acquisition or purchase by him.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where the foreign exchange acquired or purchased by any person not being an individual resident in India from an authorised person is for the purpose of foreign travel, then, the unspent balance of such foreign exchange shall, save as otherwise provided in the regulations made under the Act, be surrendered to an authorised person -

(a) within ninety days from the date of return of the traveller to India, when the unspent foreign exchange is in the form of currency notes and coins; and
(b) within one hundred eighty days from the date of return of the traveller to India, when the unspent foreign exchange is in the form of travellers cheques.

7. **Period for surrender of received/ realised/ unspent/ unused foreign exchange by Resident individuals.-**

A person being an individual resident in India shall surrender the received/realised/unspent/unused foreign exchange whether in the form of currency notes, coins and travellers cheques, etc. to an authorised person within a period of 180 days from the date of such receipt/realisation/purchase/acquisition or date of his return to India, as the case may be.

8. **Exemption:-**

Nothing in these regulations shall apply to foreign exchange in the form of currency of Nepal or Bhutan.

[F. No. 1/31/EM-2015]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

अधिसूचना

मुम्बई, 29 दिसंबर 2015

सं. फेमा.11(आर) /2015-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध {विदेशी करेंसी का धारण (possession) और प्रतिधारण (retention)} विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 1006(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खंड (ए) एवं खंड (ई) और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.11/2000-आरबी को अधिक्रमित करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियम निर्मित करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध {विदेशी करेंसी का धारण (possession) और प्रतिधारण (retention)} विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।

ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ :-

इस विनियमावली में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो –

i) 'अधिनियम' का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (199 का 42) से है ;

ii) 'धारण करने' (to possess) और 'प्रतिधारण करने' (to retain) का तात्पर्य भौतिक रूप में 'धारण' करने और 'प्रतिधारण' करने से है तथा धारण अथवा प्रतिधारण के आशय को तदनुसार समझा जाएगा।

iii) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, किन्तु जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में दिये गए हैं।

3. विदेशी करेंसी अथवा विदेशी सिक्के धारण करने और प्रतिधारण करने के लिए सीमाएं:-

उक्त अधिनियम की धारा 9 के खंड (ए) और खंड (ई) के प्रयोजन के लिए**,** रिज़र्व बैंक विदेशी करेंसी अथवा विदेशी सिक्कों के धारण और प्रतिधारण के लिए निम्नलिखित सीमाएं विनिर्दिष्ट करता है**,** अर्थात -:

i) किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उसके प्राधिकार के अंतर्गत विदेशी करेंसी और सिक्कों का बिना किसी सीमा के धारण करना ;

ii) किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी सीमा के सिक्कों का धारण करना;

iii) भारत में निवासी कोई व्यक्ति विदेशी करेंसी नोटों, बैंक नोटों और विदेशी करेंसी यात्री चेकों को समग्र रूप में 2000 अमेरिकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अनधिक सीमा तक प्रतिधारित (retain) कर सकता है, बशर्ते ऐसी विदेशी मुद्रा निम्नवत करेंसी नोटों, बैंक नोटों और यात्री चेकों के रूप में;

(ए) भारत से बाहर किसी स्थान के दौरे पर होने के दौरान दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में अर्जित की गई हो, जो भारत में किसी कारोबार अथवा किए गए कार्य से उत्पन्न न हुई हो; अथवा

(बी) ऐसे व्यक्ति से, जो भारत में निवासी न हो और जो भारत में दौरे पर आया हो, मानदेय अथवा उपहार अथवा दी गई सेवाओं अथवा किसी विधि सम्मत दायित्व के निपटान/भुगतान के रूप में अर्जित की गई हो; अथवा

(सी) भारत से बाहर दौरे के दौरान मानदेय अथवा उपहार के रूप में अर्जित की गई हो; अथवा

(डी) विदेश यात्रा के लिए किसी प्राधिकृत व्यापारी से अर्जित विदेशी मुद्रा में से व्यय न हुई राशि के रूप में हो।

4. भारत में निवासी किसी व्यक्ति, किन्तु जो स्थायी निवासी नहीं है, द्वारा विदेशी मुद्रा धारित करना :-

विनियम 3 के खंड (iv) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारत में निवासी कोई व्यक्ति, किन्तु जो स्थायी निवासी नहीं है, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और यात्री चेकों के रूप में विदेशी मुद्रा का धारण कर सकता है, यदि ऐसी विदेशी करेंसी उसके द्वारा भारत से बाहर निवास करने के दौरान अर्जित की गई हो, धारित की गई हो अथवा स्वाधिकृत की गई हो और उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित विनियमों के अनुसार भारत में लाई गई हो।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'स्थायी निवासी न होने' का तात्पर्य, भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति से है जो विनिर्दिष्ट अवधि (उसकी अवधि चाहे जितनी हो) के लिए रोजगार अथवा किसी विनिर्दिष्ट नौकरी/कार्य (job) अथवा समनुदेशन (assignment) के लिए रहता है, जिसकी अवधि 3 वर्ष से अधिक न हो।

[फा. सं. 1/31/ईएम-2015]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th December, 2015

No. FEMA 11(R)/2015-RB

Foreign Exchange Management (Possession and Retention of Foreign Currency) Regulations, 2015

G.S.R. 1006(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (e) of Section 9, clause (d) and clause (g) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in supersession of Notification No. FEMA 11/ 2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank of India makes the following regulations, namely :-

1. **Short title & commencement:-**

i) These regulations may be called as Foreign Exchange Management (Possession and Retention of Foreign Currency) Regulations, 2015.

ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:-

In these Regulations, unless the context requires otherwise –

i) 'Act' means Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).
ii) 'To possess' or 'to retain' means to possess or to retain in physical form and the words 'possession' or 'retention' shall be construed accordingly.

iii) The words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Limits for possession and retention of foreign currency or foreign coins:-

For the purpose of clause (a) and clause (e) of Section 9 of the Act, the Reserve Bank specifies the following limits for possession or retention of foreign currency or foreign coins, namely :-

i) Possession without limit of foreign currency and coins by an authorised person within the scope of his authority;

ii) Possession without limit of foreign coins by any person;

iii) Retention by a person resident in India of foreign currency notes, bank notes and foreign currency travellers' cheques not exceeding US$ 2000 or its equivalent in aggregate, provided that such foreign exchange in the form of currency notes, bank notes and travellers cheques;

(a) was acquired by him while on a visit to any place outside India by way of payment for services not arising from any business in or anything done in India; or

(b) was acquired by him, from any person not resident in India and who is on a visit to India, as honorarium or gift or for services rendered or in settlement of any lawful obligation; or

(c) was acquired by him by way of honorarium or gift while on a visit to any place outside India; or

(d) represents unspent amount of foreign exchange acquired by him from an authorised person for travel abroad.

4. Possession of foreign exchange by a person resident In India but not permanently resident therein:-

Without prejudice to clause (iv) of Regulation 3, a person resident in India but not permanently resident therein may possess without limit foreign currency in the form of currency notes, bank notes and travellers cheques, if such foreign currency was acquired, held or owned by him when he was resident outside India and, has been brought into India in accordance with the regulations made under the Act.

Explanation : for the purpose of this clause, 'not permanently resident' means a person resident in India for employment of a specified duration (irrespective of length thereof) or for a specific job or assignment, the duration of which does not exceed three years.

[F. No. 1/31/EM-2015]

B P KANUNGO, Principal Chief General Manager

अधिसूचना

मुम्बई, 29 दिसंबर 2015

सं. फेमा. 12(आर)/2015-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 1007(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 12/2000-आरबी को अधिक्रमित करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में निवासी किसी व्यक्ति को भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी साधारण अथवा जीवन बीमा पॉलिसी लेने / धारण करने के संबंध में निम्नलिखित विनियमावली निर्मित करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ :-

इस विनियमावली में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(i) 'अधिनियम' का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) से है ;

(ii) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, किन्तु जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में दिये गए हैं।

3. भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी साधारण बीमा पॉलिसी को लेने अथवा धारण करने के लिए अनुमति :-

(i) भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ले सकता है अथवा उसे धारण किए रह सकता है, बशर्ते प्रीमियम सहित समग्र विप्रेषण उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो।

(ii) कोई भी व्यक्ति भारत में किसी संपत्ति अथवा भारत में पंजीकृत किसी जहाज़ अथवा अन्य पोत अथवा एयरक्राफ्ट के संबंध में ऐसे बीमाकर्ता, जिसके कारोबार का प्रधान स्थान भारत से बाहर है, से बीमा पॉलिसी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) की अनुमति के बिना नहीं लेगा अथवा नवीकृत नहीं करेगा।

(iii) भारत में निवासी कोई व्यक्ति उल्लिखित (i) और (ii) से भिन्न साधारण बीमा पॉलिसी भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता से ले सकता है अथवा धारण किए रख सकता है, बशर्ते कि धारित पॉलिसी केंद्र सरकार की विशिष्ट अथवा सामान्य अनुमति के अंतर्गत आती हो ।

(iv) भारत में निवासी कोई व्यक्ति जब ऐसा व्यक्ति भारत से बाहर निवास करता था तत्समय भारत से बाहर के बीमाकर्ता द्वारा उसे जारी साधारण बीमा पॉलिसी को धारित किए रह सकता है।

बशर्ते यह कि जहां साधारण बीमा पॉलिसी के लिए देय प्रीमियम भारत से विप्रेषण के जरिये अदा किया गया हो, पॉलिसी धारक पॉलिसी की परिपक्वतागत आगम राशि अथवा प्राप्य दावा राशि प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों की अवधि में सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए भारत में प्रत्यावर्तित करेगा।

4. भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी जीवन बीमा पॉलिसी को लेने अथवा धारण करने के लिए अनुमति

(i) भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी जीवन बीमा पॉलिसी ले सकता है अथवा उसे धारण किए रह सकता है, बशर्ते कि पॉलिसी भारतीय रिज़र्व बैंक की विशिष्ट अथवा सामान्य अनुमति के अंतर्गत धारित की गई हो।

(ii) भारत में निवासी कोई व्यक्ति जब भारत से बाहर निवास करता था तब उसके द्वारा भारत से बाहर के बीमाकर्ता द्वारा उसे जारी जीवन बीमा पॉलिसी को वह जारी रख सकता है/धारण किए रह सकता है।

बशर्ते यह कि जहां जीवन बीमा पॉलिसी के लिए देय प्रीमियम भारत से विप्रेषण के जरिये अदा किया गया हो, पॉलिसी धारक पॉलिसी की परिपक्वतागत आगम राशि अथवा प्राप्य दावा राशि प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों की अवधि में सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए भारत में प्रत्यावर्तित करेगा।

[फा. सं. 1/31/ईएम-2015]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th December, 2015

No. FEMA. 12R/2015-RB

Foreign Exchange Management (Insurance) Regulations, 2015

G.S.R. 1007(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in supercession of its Notification No. FEMA.12/2000-RB, dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank of India makes the following Regulations with respect to the holding by a person resident in India of a general or life insurance policy issued by an insurer outside India, namely:

1. Short Title and Commencement:

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Insurance) Regulations, 2015.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

In these Regulations, unless the context otherwise requires,-

(i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(ii) The words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Permission to take or hold a general insurance policy issued by an insurer outside India:-

(i) A person resident in India may take or continue to hold a health insurance policy issued by an insurer outside India provided aggregate remittance including amount of premium does not exceed limit prescribed under the Liberalised Remittance Scheme.

(ii) No person shall take out or renew any policy of insurance in respect of any property in India or any ship or other vessel or aircraft registered in India with an insurer whose principal place of business is outside India without permission of Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA).

(iii) A person resident in India may take or continue to hold a general insurance policy other than referred in (i) and (ii) above, issued by an insurer outside India, provided that, the policy is held, under a specific or general permission of the Central Government.

(iv) A person resident in India may continue to hold any general insurance policy issued by an insurer outside India when such person was resident outside India.

Provided further that where the premium due on a general insurance policy has been paid by making remittance from India, the policy holder shall repatriate to India through normal banking channels, the maturity proceeds or amount of any claim due on the policy, within a period of seven days from the receipt thereof.

4. Permission to take or hold a life insurance policy issued by an insurer outside India

(i) A person resident in India may take or continue to hold a life insurance policy issued by an insurer outside India, provided that, the policy is held, under a specific or general permission of the Reserve Bank of India.

(ii) A person resident in India may continue to hold any life insurance policy issued by an insurer outside India when such person was resident outside India.

Provided further that where the premium due on a life insurance policy has been paid by making remittance from India, the policy holder shall repatriate to India through normal banking channels, the maturity proceeds or amount of any claim due on the policy, within a period of seven days from the receipt thereof.

[F. No. 1/31/EM-2015]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

अधिसूचना

मुम्बई, 29 दिसम्बर 2015

सं. फेमा. 15(आर)/2015-आरबी

"करेंसी" की परिभाषा

सा.का.नि. 1008(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (एच) के अनुसरण में, और समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 15/2000-आरबी को अधिक्रमित करते हुए, रिज़र्व बैंक डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड अथवा किसी और नाम से अभिहित अन्य लिखत, जिनका प्रयोग वित्तीय दायित्व (Liability) को सृजित करने के लिए हो, को 'करेंसी' के रूप में अधिसूचित करता है।

ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. 1/31/ईएम-2015]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th December, 2015

No. FEMA 15 (R)/ 2015 – RB

Definition of "Currency"

G.S.R. 1008(E).—In pursuance of clause (h) of Section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in supersession of Notification No. FEMA 15/ 2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to

time, the Reserve Bank notifies debit cards, ATM cards or any other instrument by whatever name called that can be used to create a financial liability, as 'currency'.

They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/31/EM-2015]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

अधिसूचना

मुम्बई, 29 दिसम्बर 2015

सं. फेमा. 18(आर)/2015-आरबी

पोस्ट ऑफिस (पोस्टल ऑर्डर / मनी ऑर्डर)

सा.का.नि. 1009(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 3 के खंड (ए)के अनुसरण में, और समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.18/2000-आरबी को अधिक्रमित करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक व्यक्ति(यों) को किसी भी पोस्ट ऑफिस से, किसी विधि अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों, जो तत्समय लागू हों, के तहत पोस्टल ऑर्डर अथवा मनी ऑर्डर के रूप में विदेशी मुद्रा की खरीद की अनुमति प्रदान करता है।

ये सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. 1/31/ईएम-2015]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th December, 2015

No. FEMA 18 (R)/ 2015 – RB

Post Office (Postal Orders/Money Orders)

G.S.R. 1009(E).— In pursuance of clause (a) of Section 3 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in supersession of Notification No. FEMA 18/ 2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank of India is pleased to permit any person to buy from any Post Office, in accordance with any law or rules made thereunder for the time being in force, any foreign exchange in the form of postal orders or money orders.

They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

.

[F. No. 1/31/EM-2015]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.